निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

(उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति)

निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, प्रेमनगर, देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार

पत्रांक : 166/181/**UWCDS**/2026–27 दिनांक : 02 जून 2026

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना

उत्तराखण्ड राज्य में निराश्रित, विधवा, एकल एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने, वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के अवसर प्रदान करने, महिलाओं के समस्त आयामों को सम्मिलित करते हुए उन्हें सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

अर्हता–

1. सरकारी संस्थान/एजेन्सी, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, प्रतिष्ठित गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएँ एवं सरकारी विभाग जो महिला विकास क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखते हों, द्वारा अपने प्रस्ताव प्राप्त कराये जा सकते हैं।
2. गैर सरकारी संस्थान/स्वयं सेवी संस्थाएँ/प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में ही कम से कम 05 वर्ष पूर्व सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/कम्पनी एक्ट/भारतीय ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत होनी अनिवार्य है तथा संस्था का विगत् 03 वर्ष (वि0व0 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का ऑडिट वार्षिक व्यय सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. पहाडी जनपदों में रजिस्टर्ड/कार्यरत संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्ष (वि0व0 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का औसतन आय–व्यय न्यूनतम रू0 15.00 लाख एवं मैदानी जनपदों में रजिस्टर्ड/कार्यरत संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का औसतन आय–व्यय न्यूनतम रू0 25.00 लाख प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है।
4. संस्था/एजेन्सी किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान से काली सूची में दर्ज न हों। इस आशय का रू0 10.00 मात्र के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड़ शपथ पत्र देना होगा।

इच्छुक सरकारी संस्थान/एजेन्सी/प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान/प्रतिष्ठित गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएँ अपना पूर्ण प्रशिक्षण प्रस्ताव, जिस जनपद से आवेदन कर रहे हों, उस जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में दिनांक 23 जून 2026 सांय 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्रस्ताव को तैयार करने हेतु दिशा निर्देशिका व बजट शीट को विभाग की वैबसाइट www.wecd.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशिक्षण प्रस्ताव पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कमेटी की संस्तुति अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत प्रस्ताव चयन/निरस्तीकरण से सम्बन्धित समस्त अधिकार निदेशक/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के पास नियत रहेंगे। किसी भी अपूर्ण प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक/उपाध्यक्ष

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति

प्रस्ताव का प्रारूप

1. प्रस्ताव शीर्षक

2. आवेदनकर्ता संस्था या संस्थान का नाम व पता

3. उत्तरदायी व्यक्ति का फोन एवं फैक्स नम्बर

4. वैधानिक पहचान/स्थिति

5. संस्था का संक्षिप्त इतिहास

6. अन्य सरकारी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त

7. क्षमता और अनुभव
संक्षेप में, संस्था की क्षमता, स्टाफ, आधारभूत संरचना (स्वामित्व अथवा किराये पर) एवं परियोजना संचालन हेतु प्रशासनिक/आर्थिक प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। महिला सशक्तिकरण एवं कार्यबोझ कमी एवं जनसाधारण के साथ कार्य संम्बधी अपने अनुभव एवं कार्यक्रमों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

8. प्रशिक्षण क्षेत्र का विवरण
संक्षेप में प्रस्तावित प्रशिक्षण हेतु सुनिश्चित क्षेत्र तथा रेल, वायु एवं जल मार्ग से क्षेत्र तक पहुंच स्थान विवरण एवं जनसंख्या का अध्ययन, सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां और की जाने वाली सार्वजनिक व निजी विकास की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए ।

9. प्रशिक्षण लाभार्थी
योजना के तहत् आर्थिक सहायता हेतु पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होंगीः–
- लाभार्थी निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग से होनी चाहिए।
- लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
- लाभार्थी उत्तराखण्ड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी किसी अन्य योजना से समान व्यवसाय से लाभान्वित नहीं होनी चाहिए।

10. प्रस्तावित प्रशिक्षण का उद्देश्य
प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के सम्बन्ध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते है तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्ति की अवधि का वर्णन किया जायेगा।

11. प्रशिक्षण हेतु क्रियाविधि/प्रक्रिया
अपनायी जाने वाली विधि एवं प्रक्रिया का उल्लेख करें। प्रबन्ध तंत्र एवं प्रयिाक्षण की अवधि का वर्णन करें। प्रशिक्षण गतिविधि क्रियान्वयन चार्ट (संलग्नक–1) बनाते हुए प्रस्ताव के साथ जमा करें।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयवस्तु वाले प्रशिक्षण प्रस्ताव हेतु वाह्य वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता/योगदान प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

क्या प्रस्ताव को कोई विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता है। वे क्या है? क्या वे प्राप्त की गई है ?

12. औचित्य
यह स्पष्ट करें कि प्रस्तुत प्रशिक्षण में किस प्रकार सफलता प्राप्ति की प्रबल सम्भावना है एवं अवसर तथा जोखिम उपस्थित है। यदि सम्भव हो तो राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर समान विकास की पहलों का वर्णन करते हुए उनसे प्रयिाक्षण की तुलना प्रस्तुत की जाये।

13. परामर्श प्रक्रिया

प्रस्ताव के निर्माण हेतु परामर्श प्रक्रिया का वर्णन करें। विशेषकर स्थानीय समुदाय का दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाये। यदि स्थानीय पंचायतों/स्वयं सहायता समूहों/समुदाय आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों से परामर्श लिया गया है तो उसका विशिष्ट रूप से उल्लेख करें। प्रस्ताव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मियों का उल्लेख किया जाये।

प्रशिक्षण प्रस्ताव आवश्यकीय रूप से हितभागियों (जैसे– समुदाय, पंचायतीराज संस्थाएं एवं रेखा विभाग आदि) की संयुक्त बैठक के प्राप्ति–निष्कर्षों पर आधारित होनी चाहिए।

समूहों का "स्वाट विश्लेषण"' (मजबूती, कमजोरी, संभावनाऐं, खतरे) एवं नमूना आधारभूत सर्वेक्षण संलग्न करने की सलाह दी जाती है ताकि आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सके।

14. क्रियान्वयन

प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित संस्थात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। विभिन्न स्तरों के स्टाफ/स्वयं सेवकों की भूमिकायें एवं दायित्व विशिष्ट रूप से स्पष्ट किये जाए। प्रशासन, लेखा, कार्यक्रम के उद्देश्य एवं अनुश्रवण हेतु अधिकार एवं नियंत्रण प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। प्रशिक्षण हेतु स्टाफ के चयन की प्रक्रिया, अपेक्षित अर्हता एवं मानदेय का वर्णन किया जाए। कृपया स्पष्ट करें कि प्रशिक्षण क्रियान्वयन हेतु स्थल कहां स्थित होंगे, साथ ही यथासम्भव स्थल पर उपलब्ध स्टाफ का डाक पता, टेलीफोन नम्बर एवं नाम बताया जाये। इस भाग में गतिविधियों के आयोजन का अनुक्रम तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्त सूचना दी जाएगी। गतिविधियों की समय सारिणी तथा सूचकांकों को दर्शाया जायेगा।

15. क्रय प्रणाली

आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु आमंत्रण एवं विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया जाये। यह स्पष्ट करें कि क्रय प्रणाली किस प्रकार मुक्त, न्यायपूर्ण एवं प्रतियोगितात्मक होगी।

16. पुनरावृत्ति एवं निरंतरता

प्रस्तावित प्रशिक्षण प्रस्ताव में निहित उन मापकों को उजागर कीजिए जो विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यक्रम में लचीलापन एवं ग्राह्यता सुनिश्चित करती हो। उन विशेष सफल लक्षणों को चिन्हित कीजिए जिनकी पुनरावृत्ति की जा सके।

प्रशिक्षण की निरंतरता हेतु प्रस्तावित कार्यवाहियों का उल्लेख करें। क्या आपकी संस्था सहायक–ऋण, समानान्तर कोष/रिवाल्विंग फंड/मितव्ययी एवं ऋण योजना तंत्र विकसित एवं प्रोत्साहित कर सकती है जिससे अधिनिकास सुविधा हेतु एक उचित योजना एवं अनुबंध बैंकों से सुनिश्चित किया जा सके जो प्रशिक्षण को मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना की वित्तीय स्वीकृति समय सीमा के पश्चात एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में निरंतरता प्रदान कर सके।

उन कार्यवाहियों का उल्लेख करें जिससे रेखा विभागों, अनुसंधान संस्थानों एवं विपणन एजेन्सियों से सम्बंध स्थापित किया जा सके ताकि अग्रगामी एवं पश्चगामीं सम्बंध सुनिश्चित किए जा सके।

17. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उद्वेश्यों की प्राप्ति संबंधी उपलब्धियों को समय–समय पर मापने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करें। जहां संभव हो, उन विधियों का समावेश किया जाए जिनके उपयोग से लाभार्थी स्वयं अथवा स्थानीय समुदाय अथवा पंचायत द्वारा परियोजना का अनुश्रवण किया जा सके।

प्रारम्भिक एवं समापन उपरान्त आधारभूत सर्वेक्षण प्रभाव मूल्यांकन हेतु अनिवार्य है। प्रशिक्षण के प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रगति मापक सूचकांको तथा चिन्हों का उल्लेख किया जाये। कार्यपूर्ति मापकों की पुर्नजॉच तथा प्रमाणन किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर आख्या दी जाये। कार्यपूर्ति ऑकड़ों का संग्रहण कैसे होगा तथा उनकी पुष्टि किस प्रकार की जायेगी, इसका वर्णन किया जाये।

प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के संबंध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते हैं तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जायेगा।

18. पारदर्शिता

जनसामान्य को प्रशिक्षण सम्बधी सूचना किस प्रकार उपलब्ध होंगी तथा उक्त सूचना किस माध्यम से प्राप्त की जाएगी, इसका वर्णन किया जाए। सहयोगी संस्थाए सूचना के अधिकार अधिनियम मे निहित प्रावधानों को मानने हेतु बाध्य होगी।

19. परियोजना लागत सारांश

अधिकतम 03 माह हेतु बजट मदों की सूचीं संक्षेप मे उल्लेखित करें। इस हेतु नमूना फार्मेट संलग्नक–02 मे रक्षित हैं। कृपया वार्षिक आधार पर प्रति–लाभार्थी प्रशिक्षण लागत एवं लागत–लाभ अनुपात का अवलोकन दर्शाइये ।

20. अन्य अनिवार्य बिन्दुः

1. कुल धनराशी रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख मात्र) से ऊपर के प्रशिक्षण प्रस्तावों हेतु संस्थान/संगठन/एजेंसी के द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षर के समय कुल प्रशिक्षण लागत की 5% धनराशी एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में निदेशक/उपाध्यक्ष, उत्राखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, देहरादून के पक्ष में जमा करानी अनिवार्य है। एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 परियोजना सम्पूर्णता अवधी तक मान्य/वैद्य रहेगी।
2. प्रशिक्षण प्रस्ताव पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कमेटी की संस्तुति अनिवार्य है।
3. प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र दर्शाता जिले का एक मानचित्र ।
4. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र।
5. संस्था का स्मृतिपत्र एवं नियमावली की सत्यापित प्रति।
6. विगत 03 वर्षों की बैलेन्स शीट मय सम्परीक्षक प्रमाण पत्र एवं आख्या, प्राप्ति और भुगतान खाते, आय और व्यय खाते/लाभ हानि खाते, देनदारी एवं परिसम्पत्ति खाते।
7. विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0।
8. विगत तीन वर्षों की वार्षिक प्रगति आख्याएं।
8. स्टॉफ की सूची मय पता एवं सम्पर्क दूरभाष नम्बर।
9. संस्था की प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों/समूह के पदाधिकारियों व सदस्यों की पूर्ण सूची मय नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर। आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
10. क्रियान्वित किये गये सभी प्रशिक्षण एवं परियोजनाओं एवं वर्तमान में क्रियान्वित किये जा रहे प्रशिक्षण एवं परियोजनाओं की सूची (प्रशिक्षण/परियोजनाओं का नाम, वित्त पोषक विभाग, अवधि, स्वीकृत बजट, प्रशिक्षण/परियोजना क्षेत्र, गतिविधियां, कुल लाभार्थी) साथ में सभी प्रशिक्षण एवं परियोजनाओं एवं विशेषतः महिला सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं परियोजनाओं की स्वीकृति पत्र एवं बजट की छायाप्रति।
11. प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त चयनित महिला लाभार्थियों से किसी समान योजना के अंतर्गत दोहरा लाभ प्राप्त न किये जाने का स्वधोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
12. प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त चयनित महिला लाभार्थियों की सूची को सम्बन्धित जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कमेटी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।

पद व मोहर सहित अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

सामान्य निर्देश

1. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव दो प्रतियों में, जो ए–4 साइज सफेद बाण्ड पेपर में डबल लाइन स्पेस में टंकित हो जमा किए जाए ।
2. भाषा सरल, स्पष्ट एवं बिन्दुवार होनी चाहिए। कृपया पुनरावृत्ति न करें।
3. कृपया सुनिश्चित करें कि आपका प्रस्ताव समस्त प्रासंगिक आंकडों, जानकारियों एवं दस्तावेजों से परिपूर्ण हो। अधूरे परियोजना दस्तावेज स्वीकार्य नही होंगे ।
4. अनुमानित लागत निर्धारण संक्षिप्त एवं सावधानीपूर्वक निकाले जाए। सामयिक/अस्थायी मूल्य निर्धारण उपलब्ध कराते हुए अधिकतम सीमा तक तथ्यात्मक रहें। कार्य के समयबद्ध पूर्णता हेतु यह संस्तुत किया जाता है कि कीमत चढाव एवं आडिट लागत संबंधी मदों को वर्षवार बजट एवं वित्तीय योजना में प्रस्तुत किया जाए।
5. विशेषज्ञ सलाह, पर्याप्त पृष्ठभूमि अनुसंधान एवं अध्ययनों पर निर्मित प्रशिक्षण प्रस्ताव परियोजना स्वीकृति समिति को शीघ्र स्पष्टता कराने में सक्षम होगा।
6. प्राप्तकर्ता संस्था मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के अन्तर्गत, समुदाय हेतु समस्त पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित समस्त परिसम्पत्तियों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करेंगे।
7. अधिकतम दो पृष्ठों का प्रशिक्षण प्रस्ताव सारांश विस्तृत प्रशिक्षण प्रस्ताव के आरम्भ मे संलग्न होना चाहिए। सारांश में प्रशिक्षण का शीर्षक, स्थान (गांवों की संख्या, ब्लाक, जिला), प्रशिक्षण का उद्देश्य, प्राप्त किए जाने वाले साधन, अपेक्षित परिणाम, मुख्य लाभार्थी, अवधि, अपेक्षित कार्यारम्भ एवं समापन तिथि, कुल लागत, मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना का योगदान, स्थानीय योगदान, अन्य दाता योगदान और बजट सारांश का संक्षेप में वर्णन करें। प्रशिक्षण आवश्यकता पूर्ति में यदि किसी अन्य एन.जी.ओ. अथवा दाता संस्थाओं से साझेदारी एवं समान्तर वित्त पोषण, तकनीकी सहयोग आदि की भूमिका हो तो उसका संदर्भ दीजिए।
8. योजनान्तर्गत स्वीकृत वित्तीय मानकों के अनुरूप 02 वर्षीय समय अवधि का प्रशिक्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
9. पूर्ण प्रशिक्षण प्रस्ताव मय सहायक दस्तावेज सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करायें।

शासनादेश संख्या 54 **XVII(4)/2014/5(10)/2014** दिनांक 31 जनवरी, 2015

मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण हेतु मानक आवासीय प्रशिक्षण जनपद स्तरीय

संलग्नक ।

क्र.सं	प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	आवास एवं भोजन (प्रति व्यक्ति) (रूपये में)	प्रशिक्षार्थी को वजीफा मात्र रू0 1000/– प्रति लाभार्थी (पूर्ण प्रशिक्षण अवधि) (रूपये में)	प्रशिक्षक हेतु मानदेय (अधिकतम 500/–) प्रति बैच (रूपये में)	प्रशिक्षार्थियों हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री (प्रति व्यक्ति) (रूपये में)	योग (रूपये में)	प्रशासनिक व्यय (कुल व्यय का 10 प्रतिशत (रूपये में)	योग (प्रति लाभार्थी) (रूपये में)
	01	02	03	04	05 (02X500)	06	07 (2X3+4+5+6)	08	09 (7+8)
1	डेरी मैनेजमेंट	7	300	1000	3500	50	6650	665	7315
2	मधुमक्खी पालन	7	300	1000	3500	50	6650	665	7315
3	कुक्कुट पालन	7	300	1000	3500	50	6650	665	7315
4	जड़ी बूटी	7	300	1000	3500	50	6650	665	7315
5	हस्तकला	7	300	1000	3500	50	6650	665	7315
6	कढ़ाई	7	300	1000	3500	50	6650	665	7315
7	खाद्य प्रसंस्करण	15	300	1000	7500	50	13050	1305	14355
8	मशरूम उत्पादन	15	300	1000	7500	50	13050	1305	14355
9	कताई बुनाई	21	300	1000	10500	50	17850	1785	19635
10	सिलाई	30	300	1000	15000	50	25050	2505	27555
11	ब्यूटी पार्लर	30	300	1000	15000	50	25050	2505	27555
12	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (न्यूनतम 1 सप्ताह अधिकतम 3 माह)	90	300	1000	45000	50	73050	7305	80355

नोटः– प्रति लाभार्थी को पूर्ण प्रशिक्षण की अवधि में मात्र रू0 1000/– वजीफे के रूप में देय होगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्या 54 XVII(4)/2014/5(10)/2014 दिनांक .. 31 जनवरी, 2015

मुख्यमंत्री महिला सतत्आजीविका योजना आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण हेतु मानक ग्राम स्तरीय/कलस्टर स्तरीय प्रशिक्षण

संलग्नक।

प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण की अवधि	भोजन एवं जलपान (प्रति व्यक्ति)	यात्रा भत्ता प्रति लाभार्थी अधिकतम	प्रशिक्षार्थी को वजीफा मात्र रू0 1000/– प्रति लाभार्थी (पूर्ण प्रशिक्षण अवधि)	प्रशिक्षक हेतु मानदेय (अधिकतम 500/–) प्रति बैच	प्रशिक्षार्थियों हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री (प्रति व्यक्ति)	योग	प्रशासनिक व्यय (कुल व्यय का 10 प्रतिशत	कुल योग (प्रति लाभार्थी)
	(दिनों में)	(रूपये में)	(रूपये में)	(रूपये में)	(रूपये में)	(रूपये में)	(रूपये में)	(रूपये में)	(रूपये में)
1	2	3	4	5	6 (02X500)	7	8 (2X3+4+5+6+7)	9	10 (7+8)
डेरी मैनेजमेंट	7	100	50	1000	3500	50	4900	490	5390
मधुमक्खी पालन	7	100	50	1000	3500	50	4900	490	5390
कुक्कुट पालन	7	100	50	1000	3500	50	4900	490	5390
जडी बूटी	7	100	50	1000	3500	50	4900	490	5390
हस्तकला	7	100	50	1000	3500	50	4900	490	5390
कढ़ाई	7	100	50	1000	3500	50	4900	490	5390
खाद्य प्रसंस्करण	15	100	50	1000	7500	50	9300	930	10230
मशरूम उत्पादन	15	100	50	1000	7500	50	9300	930	10230
कताई बुनाई	21	100	50	1000	10500	50	12600	1260	13860
सिलाई	30	100	50	1000	15000	50	17550	1755	19305
ब्यूटी पार्लर	30	100	50	1000	15000	50	17550	1755	19305
उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (न्यूनतम 1 सप्ताह अधिकतम 3 माह)	90	100	50	1000	45000	50	50550	5055	55605

नोट:– प्रति लाभार्थी को पूर्ण प्रशिक्षण की अवधि में मात्र रू0 1000/– वजीफे के रूप में देय होगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव